राष्ट्र हित उद्योग हित श्रमिक हित

परिश्रमेण हि सिध्यंते कार्याणि न मनोरथैः

ARYAVART BANK WORKERS ORGANISATION

Reg. No. 8334

&

ARYAVART BANK OFFICERS ORGANISATION

(Affiliated to: AIGBWO, AIGBOO, BMS)

Reg. No. 8443

केन्द्रीय कार्यालय
59, सी स्कीम, पटेल नगर
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय
291, बेगम बाग़,
सीतापुर (उ०प्र०)

प्रांतीय, कार्यालय
माल रोड़ 2, नवीन मार्केट,
कानपुर (उ०प्र०)

Web: https://abwoo.org
off.Email:bms@abwoo.org

पत्रांक : - ABOO_WO/2022/045

दिनांक: 27-08-2022

Very Important & Urgent

Email/Speed Post

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष
आर्यावर्त बैंक
प्रधान कार्यालय
ए-2/46, विजय खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010 (उ0प्र0)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

महोदय,

पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 22-03-2022 को सम्पन्न सलाहकार समिति की बैठक के उपरांत वर्तमान वित्तीय 2022-23 की प्रथम सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में संगठन की संयुक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत मांगें/सुझाव

दिनांक 23-07-2022 को लखनऊ में सम्पन्न हमारे संगठन की दोनों इकाइयों के संयुक्त रूप से सम्पन्न भव्य त्रैवार्षिक महाधिवेशन में आपके आगमन हेतु हम आपको संगठन की ओर से पुनः धन्यवाद ज्ञपित करते हैं और आशा करते हैं कि आप सदा ऐसे ही संगठन के बुलावे पर अपने अधिकारियों कर्मचारियों के बीच आते रहेंगे और उनके कार्यक्रमों में आगे भी शामिल होते रहेंगे|

दिनांक 29-03-2022 को आपके आर्यावर्त बैंक में आगमन के पश्चात वैसे तो आपके साथ संगठन पदाधिकारियों की कई बैठकें जैसे दिनांक 30.04.2022 को प्रथम बैठक के पश्चात दो अन्य बैठकों जिसमें CVO बैठक शामिल है, हो चुकी हैं किन्तु सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली सलाहकार समिति की आपके साथ यह संगठन की प्रथम बैठक होगी| प्रबंधन व संगठन के बीच यह बैठक मात्र बैठक नहीं होती अपितु दोनों ओर से संस्था को आगे बढ़ाने के साथ कार्मिकों के हितों को महत्व देते हुए एक उत्तम कार्यवातावरण का निर्माण करती है जिसकी आज के स्पर्धात्मक दौर में सबसे अधिक आवश्यकता है| हम वार्ता के इस मंच को अत्यधिक महत्व देते हैं क्यूंकि यदि दो पक्षों की ओर से सकारात्मक प्रयास किए जाएँ तो वार्ता के माध्यम से ही गंभीर से गंभीर समस्या का समाधान निर्गत हो सकता है, ऐसा हम प्रबल रूप से विश्वास करते हैं| संगठन के लिए संघर्ष सदैव अंतिम विकल्प है|

महोदय उपरोक्त शीर्षित विषय के अंतर्गत प्रधान कार्यालय से प्राप्त ईमेल के संबंध में संगठन, आगामी सलाहकार समिति की बैठक हेतु Agenda बिन्दु आवश्यक विचार विमर्श/चर्चा एवं समाधान हेतु प्रस्तुत कर रहा है| मांगों के साथ इस पत्र के माध्यम से संस्था के हितों और प्रगति के लिए संगठन के विचारों के रूप में सुझाव अलग से विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा रहे हैं|

मांगे:-

1. पूर्व में दिनांक 22-03-2022 को सम्पन्न सलाहकार समिति की बैठक में कुल 35 विषयों पर बिन्दुवार विस्तृत चर्चा, प्रबंधन एवं संगठन के मध्य हुई थी जिनमें से कुल 18 विषयों पर सकारात्मक समाधान हो चुका है इस प्रकार समाधान का प्रतिशत 52% है जो कि संतोषजनक है किन्तु कुल 17 विषय ऐसे हैं जिनपर या तो सम्पूर्ण समाधान नहीं हुआ है अथवा अभी प्रगति की दौर में है और लंबित हैं| पिछली वार्ता में रखे गए विषयों में से वर्तमान में सम्पूर्ण समाधान हेतु प्रतीक्षित 17 विषय पुनः इस वार्ता में पूर्व विषयों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए पिछली CCM वार्ता 22-03-2022 के Minutes के सापेक्ष संगठन की टिप्पणी सहित सुविधाजनक Tabular form में आवश्यक विचार विमर्श एवं चर्चा के उपरान्त समाधान हेतु पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं| हमें आशा है कि इस वार्ता में इन लंबित विषयों पर 100% समाधान हेतु निर्णय अवश्य होंगे|

क्रम सं०	दिनांक 22-03-2022 को सम्पन्न बैठक में संगठन के वार्ता बिन्दु जो कि वर्तमान में भी पूर्ण रूप से निदान नहीं हुए हैं	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए दिनांक 22-03-2022 को सम्पन्न बैठक के Minutes	वर्तमान में सम्पन्न होने वाली CCM बैठक में शेष बिन्दुओं पर हुई प्रगति के सापेक्ष वस्तु स्थिति की जानकारी/तर्क/अनुरोध एवं सुझाव
(i)	कृपया संगठन के पत्रांक ABOO_WO/2021/020 दिनांक 31.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.01.2020 तक NPS Employer Contribution के अंतर की राशि को समस्त कार्मिकों के NPS PRAN में अंतरित करवाने हेतु अनुरोध किया गया था| कृपया संज्ञान ग्रहण करते हुए कार्यवाही करने का कष्ट करें|	इस संदर्भ में नाबार्ड एवं प्रवर्तक से आवश्यक दिशानिर्देश हेतु अनुरोध किया गया है, जिसका अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया है| आवश्यक निर्देश अभी तक प्रतीक्षित हैं|	कृपया वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें कि क्या अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति हुई है अथवा निर्देश प्राप्त हुए हैं? ताकि संगठन आगे दोनों नियोक्ताओं से अपने स्तर पर अनुश्रवण कर सके|
(ii)	कृपया संगठन के पत्रांक ABOO_WO/2021/016 दिनांक 25.05.2021 एवं विभिन्न emails का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से Non CCA centres पर Fixed allowance के साथ साथ अधिकारियों को Learning allowance एवं कार्मिक वर्ग को Transport allowance हेतु अनुरोध किया गया था| अत्यंत खेद का विषय है कि इन allowances को समान रूप से लागू नहीं किया गया| कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए|	ग्रामीण बैंकों में नॉन CCA Centres पर Fixed Conveyance Allowance व Learning Allowance प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश अभी तक IBA/DFS द्वारा निर्गत नहीं किए गए हैं| IBA/DFS द्वारा निर्देश प्राप्त होने के उपरांत प्रवर्तक बैंक व बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर इसे लागू कर दिया जाएगा|	कृपया इस संबंध में IBA/DFS से यदि कोई निर्देश प्राप्त हुआ हो तो कृपया संगठन को सूचित करें| यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो आज जब भारत सरकार RRBs के विकास और उनमें ढांचागत एवं तकनीकी सुधार हेतु तीव्र गति से प्रयास कर रही है तो इस विषय को पुनः अवलोकन हेतु IBA/DFS को प्रेषित किया जाना चाहिए, यह संगठन सुझाव सहित अनुरोध करता है|
(iii)	APAR के numbers declare किए जाएँ ताकि अधिकारी कर्मचारियों को उनके Superiors द्वारा दिये गए Numbers पता चल सकें एवं यदि किसी Superior ने द्वेष वश APAR खराब किया हो तो अधिकारी कर्मचारी को अपील करने का अधिकार होना चाहिए इससे उच्च अधिकारियों एवं क्षेत्रपालकों के मनमाने रवैये पर अंकुश भी लगेगा और कार्य स्वच्छता का वातावरण भी संस्था बनेगा जिससे संस्था का विकास होगा|	इस संबंध में मार्गदर्शन हेतु प्रवर्तक बैंक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है, प्रवर्तक बैंक से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत इस पर निर्णय लिया जाएगा|	प्रवर्तक बैंक से क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं कृपया सूचित किया जाए| यह सुविधा प्रवर्तक बैंक में लागू है और HRMS प्रवर्तक बैंक से ही है तो Aryavart Bank में लागू करने में क्या बाधा आ रही है| सादर अनुरोध है कि कृपया संगठन को सूचित किया जाए|
(iv)	समय समय पर संगठन द्वारा प्रबंधन को Online transaction channels बैंक में लागू करने हेतु सुझाव दिया जाता रहा है जिसमें UPI, Mobile Banking, Internet	बैंक द्वारा प्रवर्तक बैंक के साथ आवश्यक अनुश्रवण किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप SMS अलर्ट शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है| मोबाइल	Missed Call Alert कुछ समय पूर्व लागू हो गया है जिसके लिए प्रधान कार्यालय आईटी विभाग की टीम और प्रमुख के साथ आप बधाई एवं प्रशंसा

केन्द्रीय कार्यालय
59, सी स्कीम, पटेल नगर
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय
291, बेगम बाग़,
सीतापुर (उ०प्र०)

प्रांतीय, कार्यालय
माल रोड़ 2, नवीन मार्केट,
कानपुर (उ०प्र०)

Web: https://abwoo.org
off.Email:bms@abwoo.org

	Banking, IMPS शामिल हैं जिससे हमारा बैंक वर्तमान के प्रौद्योगिकी युग में अन्य बैंको के साथ compete कर सके| किन्तु खेद का विषय है कि अभी तक यह सुविधाएं हमारे बैंक के ग्राहकों हेतु लागू नहीं हो सकी हैं जिससे बैंक व्यवसाय ऐसी क्षति पहुँच रही जो आने वाले समय में भर पाना कठिन कार्य होगा|	बैंकिंग के लिए भी बैंक स्तर से सक्रिय प्रयास किया जा रहा है| इंटरनेट बैंकिंग हेतु बैंक अहर्ता मापदंडों को पूरा नहीं करती है|	के पात्र हैं| यह बहुत ही जानुपयोगी सुविधा है और Balance enquiry से शाखाओं को अत्यंत राहत मिली है| कृपया UPI, Mobile Banking व Internet Bankinig के संबंध में क्या प्रगति हुई है? इस विषय में संगठन को जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें|
(v)	हमारे जो कर्मचारी (Office Assistants एवं Office Attendents) लोक अदालत अथवा अवकाश के दिन बैंक कार्य में सहयोग में लगाए जाते हैं उन्हें Overtime/Allowance अवश्य दिया जाए| यह कहीं से भी सही नहीं हैं कि अधिकारियों को लोक अदालत का Allowance तो मिले किन्तु कर्मचारी को कुछ न मिले| इस हेतु आवश्यक ध्यान दिया जाए और इस प्रकार की अनीति को समाप्त किया जाए| अवकाश के दिन कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को उचित Allowance/ Overtime / Compensatory Leave दी जाए|	लोक अदालत या अवकाश के दिनों में बैंक कार्य में सहयोग में लगाए जा रहे कार्यालय सहायक/ कार्यालय परिचर को बैंक नियमानुसार TA एवं Halting allowance का भुगतान किया जा रहा है|	क्षेत्रीय कार्यालयों को कृपया आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करें ताकि इसका पूर्ण रूप अनुपालन किया जाए क्यूंकि कुछ कार्यपालक / कार्यालय Allowance देने में ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वे बैंक कार्य के लिए अपनी ज़ेब से कर्मचारी को दे रहे हों और नहीं देते हैं| हमारे संगठन का ध्येय है कि **देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम|** हम बैंक हित में कार्य करने को तत्पर हैं, करते भी रहे हैं और सज्ज है किन्तु उसी के अनुसार नियमानुसार Allowance/ व overtime भी कार्मिकों को दिया जाना चाहिए| यह संगठन प्रबल रूप से मांग करता है| आज जब कार्मिकों को देर तक कार्य करने हेतु कहा जा रहा है तो उसी के अनुसार Overtime भी दिया जाए| हमारे कर्मचारी बैंक हित में कार्य करने में कहीं से भी पीछे नहीं हैं|
(vi)	जिस प्रकार किसी भी बचत खाते में लेन-देन के समय उस खाते से संबन्धित यदि ऋण खाता खराब चल रहा होता है तो NPA pop-up finacle पर आता है उसी प्रकार यदि ऋण खाता Overdue है तो भी ऐसा ही Overdue pop-up आना चाहिए ताकि overdue के स्तर पर Monitoring एवं वसूली की जा सके जिससे Divergent list और NPA list का बड़ा होते जाना समाप्त होता जाएगा|	उक्त प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया है|	कृपया इस अत्यंत आवश्यक विषय पर प्रगति से संगठन को अवगत करवाने का कष्ट करें| संगठन पुनः यह दोहराता है ऐसा संभव हो जाने पर Overdue पर प्रभावी रोक समय रहते लगेगी और Divergent भी जो लगातार बढ़ता जा रहा है नहीं होगा जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे NPA पर प्रभावी कंट्रोल किया जा सकेगा| कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए|
(vii)	ऋण प्रक्रिया में Impersonation को रोकने के लिए सबसे प्रमुख KYC दस्तावेज़ Aadhar को E-Aadhar के माध्यम से लेना	प्रधान कार्यालय के ऋण एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इसकी संभावना तलाशने हेतु परामर्शित कर दिया गया	संगठन यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह विषय केवल ऋण प्रक्रिया में नियम से संबन्धित है| इसमें केवल

ARYAVART BANK WORKERS ORGANISATION
Reg. No. 8334
&
ARYAVART BANK OFFICERS ORGANISATION
(Affiliated to: AIGBWO, AIGBOO, BMS)
Reg. No. 8443
केन्द्रीय कार्यालय 59, सी स्कीम, पटेल नगर सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राजस्थान)
कार्यालय 291, बेगम बाग़, सीतापुर (उ०प्र०)
प्रांतीय, कार्यालय माल रोड़ 2, नवीन मार्केट, कानपुर (उ०प्र०)
Web: https://abwoo.org
off.Email:bms@abwoo.org

	ही नियम बनाया जाए जिससे किसी आवेदक के न केवल Aadhar की प्रामाणिकता सिद्ध होती है अपितु उसका Aadhar में लगा हुआ दूरभाष नंबर भी मिलता है| इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर ही हम Impersonation को रोक सकते हैं साथ ही E-kyc की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं|	है|	UIDAI की website से आवेदक का ई-आधार उसके अधिकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP Mandate के जरिये प्राप्त करना होता है| यह पूरे बैंक में सुझाव के रूप में अथवा नियम के रूप में लागू करने से समस्या से निजात मिल सकेगी| वार्ता के दौरान इसका एक Live Demo संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा|
(viii)	वर्तमान में Euid-ekyc OTP के माध्यम से होता है जिसमें बहुत समय व्यर्थ होता है कृपया इसे Biometric के माध्यम से लागू करवाया जाए ताकि इस कार्य में तेजी आए और शाखाओं में अनावश्यक भीड़ को समाप्त किया जा सके|	बायोमैट्रिक E-KYC की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है| शीघ्र इसे शाखाओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे उक्त कार्य पूर्ण किया जा सकेगा|	पिछले वार्ता को लगभग 06 माह पूर्ण होने को हैं किन्तु अभी तक टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात भी शाखाओं को उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है| कृपया इस स्थिति पर प्रकाश डालने का कष्ट करें|
(ix)	आज जहां बैंक में Youth की संख्या 70% को पार कर रही है, ऐसे में ऐसे staff की कम आयु में Casualty की स्थिति में Future Gratuity Insurance की सुविधा से कवर कराया जाए जिससे casualty जैसी विपरीत परिस्थिति में Young staff के परिवार को आर्थिक कष्ट न झेलने पड़ें|	FGI की सुविधा लगे करने हेतु बीमा कंपनियों से वार्ता के उपरान्त, इसकी आर्थिक संभाव्यता का विश्लेषण करने के उपरान्त निर्णय लिया जाएगा|	कृपया सूचित किया जाए कि क्या बीमा कंपनियों से इस विषय में कुछ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं? बैंक के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के हित में इस विषय के महत्व को समझते हुए इस पर आवश्यक चर्चा अपेक्षित है|
(x)	Cash Remittance की गाड़ियों में सुरक्षा मानकों का पुख्ता इंतजाम करने के साथ Cash remittance staff के कार्य में अत्यधिक Risk Factor को देखते हुए स्टाफ का अतिरिक्त बीमा करवाया जाए|	Cash Remittance व Cash Shortage के संबंध में बैंक द्वारा INDEMNITY POLICY प्राप्त की गयी है परंतु नकदी प्रेषण स्टाफ का जीवन बीमा आच्छादित करने में बीमा कंपनियों द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी है, क्योंकि यह INDEMNITY POLICY में आच्छादित नहीं किया जा सकता|	ऐसी स्थिति में क्यूँ न RISK FACTOR को देखते हुए CASH REMITTANCE में कार्मिकों हेतु दुर्घटना/मृत्यु की स्थिति में बैंक में आंतरिक स्तर पर कोई राशि आवंटित करने का प्रावधान किया जाए क्यूंकि कार्मिक का जीवन महत्वपूर्ण है और उसके जीवन से उसके परिवार का भी जीवन जुड़ा होता है ऐसे में कार्मिकों को बिना बीमा के RISK में नहीं छोड़ा जा सकता|
(xi)	नए स्टाफ के आगमन को देखते हुए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर की शीघ्र खरीद की जाए|	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है जिसके उपरान्त शाखाओं को हार्डवेयर उपलब्ध कराया जाएगा|	हाल ही में बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई है, यदि निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तो संभवतः बोर्ड द्वारा अनुमति भी प्राप्त हो गई होगी| कृपया वर्तमान स्थिति से संगठन को अवगत करवाने का कष्ट करें कि आवश्यक Computer Hardware क्रय का कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है|

केन्द्रीय कार्यालय
59, सी स्कीम, पटेल नगर
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय
291, बेगम बाग़,
सीतापुर (उ०प्र०)

प्रांतीय, कार्यालय
माल रोड़ 2, नवीन मार्केट,
कानपुर (उ०प्र०)

Web: https://abwoo.org
off.Email:bms@abwoo.org

(xii)	Natural Justice के सिद्धान्त का पालन करते हुए कार्मिक मामलों में Defence Representative को भी नियमानुसार TA-DA का भुगतान किया जाए व DR करते समय उसे सिद्धान्त के अनुसार OnDuty माना जाए, जिससे कि अभियुक्त को अपना पक्ष न्याय सिद्धांतों के अनुसार रखने का पूर्ण अवसर मिले, जिससे कि संविधान में निहित नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन हो सके|	इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु नाबार्ड से अनुश्रवण किया जा रहा है|	कृपया अनुश्रवण कार्यवाही के उपरान्त प्राप्त उत्तर से संगठन को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि संगठन अपने स्तर से भी आवश्यक अनुश्रवण कर सके|
(xiii)	नियंत्रक कार्यालयों में संवेदनशील पदों पर 03 वर्ष से अधिक एक ही स्टाफ की नियुक्ति न की जाए|	संवेदनशील पद हेतु आवश्यक निर्देश परिपत्र के माध्यम से बैंक द्वारा जारी किया गया है| वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त संवेदनशील पदों पर पदस्थ अधिकारियों की सूची व पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाएगा|	स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण हुए समय हो चुका है| कृपया संगठन को सूचित किया जाए कि क्या संवेदनशील पदों पर पदस्थ अधिकारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ प्राप्त की गयी है? विषय पर आवश्यक चर्चा अपेक्षित है|
(xiv)	बैंक में कार्यालय परिचर के रिक्त पदों की सूचना दी जाए एवं शीघ्र ही कार्यालय परिचरों की भर्ती की जाए|	कार्यालय परिचर भर्ती प्रक्रिया के लिए IBA/NABARD से आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है|	कृपया वर्तमान प्रगति पर प्रकाश डालने का कष्ट करें|
(xv)	किसी NPA ऋण खाते के NPA से PA होने की दशा में Interest table code स्वत: Update नहीं हो रहा| System CBS होने के नाते इस कार्य को स्वत: हो जाना चाहिए|	इस प्रकरण के संबंध में प्रधान कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से डाटा सेंटर के माध्यम से लागू करने हेतु अग्रसारित कर दिया गया है|	प्रधान कार्यालय के अग्रेषण के उपरान्त भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और शाखाओं को स्वत: ही यह कार्य करना पड़ता है जिसमें अनावश्यक समय लगता है|
(xvi)	विशेषज्ञ अधिकारियों को सामान्य बैंकिंग अधिकारियों में परिवर्तन के संबंध में	विशेषज्ञ अधिकारी को GENERAL BANKING OFFICER में परिवर्तन करने हेतु प्रवर्तक बैंक की पॉलिसी का अध्ययन करके भविष्य में लागू करने करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी|	संगठन द्वारा इस विषय पर अत्यंत आवश्यक पत्राचार प्रधान कार्यालय एवं प्रवर्तक बैंक मुंबई को किया जा चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कारवाई जा चुकी हैं साथ ही प्रवर्तक बैंक की पॉलिसी का सम्पूर्ण अध्ययन एवं RRB service regulation के अनुसार इस विषय की वैधानिकता को भी पूर्ण explain किया गया है| विषय लंबित है|
(xvii)	प्रोन्नति प्रक्रिया 2022 को अतिशीघ्र शुरू किया जाए|	मैनपावर प्लान अनुमोदन हेतु प्रवर्तक बैंक को प्रेषित किया गया है, प्रवर्तक बैंक से अनुमोदन के उपरान्त इसे माननीय निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर प्रोन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ की	प्रकरण लंबित है आवश्यक चर्चा एवं विचार विमर्श अपेक्षित है|

		जाएगी|	

2. कृपया हमारे संगठन के पत्रांक ABOO_WO/2022/025 दिनांक 18-05-2022, पत्रांक ABOO_WO/2022/041 दिनांक 04-08-2022 एवं पत्रांक ABOO_WO/2022/042 दिनांक 05-08-2022, विषय क्रमशः Promotion Process 2022 एवं SPO से GBO प्रमोशन/अंतरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके माध्यम से संगठन द्वारा बैंक में प्रोन्नति हेतु लंबित रिक्तियों को पिछले वर्ष 2021 में हुई प्रोन्नति के दौरान लंबित रिक्तियों एवं March-2023 तक हो रही सेवानिवृत्ति का record अध्ययन करकर प्रबंधन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर शीघ्र ही रिक्त पदों पर Promotion प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध किया गया था| संगठन द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि बैंक में Cadre Crunch बढ़ता जा रहा है जिसके कारण उच्च श्रेणी की शाखा को उसके नीचे श्रेणी के अधिकारी द्वारा संभाला जा रहा है जो कि एक सेवा असंतुलन है| इस हेतु विशेषज्ञ अधिकारियों को भी साधारण अधिकारी वर्ग में प्रोन्नति हेतु सुझाव संगठन द्वारा पूर्ण अध्ययन एवं विधिक वैधानिकता को मद्देनजर रखते हुए प्रबंधन को दिया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों का भी संदर्भ लिया गया है| संगठन को आपके कार्यालय के पत्रांक प्र०का०/मा०सं०एवं औ०वि० /केकेएस/3388 दिनांक 16-08-2022 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रधान कार्यालय के पत्रांक HO/HR & IL/KKS/3321 दिनांक 05-08-2022 के द्वारा प्रवर्तक बैंक से उचित मार्गदर्शन मांगा गया है| तत्पश्चात संगठन द्वारा भी प्रवर्तक बैंक को संबन्धित प्रकरण अपने दिनांक 19-08-2022 के पत्रांक ABOO_WO/2022/044 के माध्यम से प्रेषित किया गया है| संबन्धित विषयों पर गहन चर्चा वार्ता के दौरान अपेक्षित है ताकि प्रकरणों को आपके समक्ष विस्तृत रूप से रखा जा सके एवं आवश्यक समाधान निकाला जा सके|

3. NABARD के दिनांक 26-08-2022 के पत्रांक Ref.No.NB.IDD.HO.RRB POLICY/545/316 (APPR)/2022-23 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से DFS, GoI द्वारा RRB में सभी स्तरों पर अनुमत Vacant Vacancies की जानकारी मांगी है| कृपया NABARD को हमारे Aryavart बैंक में विभिन्न Cadres में रिक्त पदों की क्या संख्या प्रेषित की गयी है अथवा की जा रही है, संगठन को भी सूचित करने का कष्ट करें|

4. कृपया संगठन द्वारा प्रेषित पत्रांक ABOO_WO/2022/035 दिनांक 06-07-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम संगठन द्वारा बैंक में त्रुटिपूर्ण रूप से लागू Mandatory Leave Policy के संबंध में अपनी असहमति व्यक्त की गई थी| इस संबंध में यह तथ्य विचार योग्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दिनांक 09.07.2021 के Notification संख्या **RBI/2021-22/70 DoR.ORG.REC.31/21.06.017/2021-22** के माध्यम से बैंक बोर्ड को Mandatory Leave की policy बनाने हेतु अधिकृत किया गया था एवं प्रत्येक Calendar year, 10 working days की Mandatory Leave, Sensitive Positions hold करने वाले अधिकारियों/विभाग प्रमुखों को देने का प्रावधान हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश दिये थे किन्तु कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि Mandatory Leaves को अधिकारियों की Earned Leave से Deduct किया जाएगा, इसके बावजूद हमारे बैंक में Mandatory Leaves को Special Leaves में न रखते हुए अधिकारियों की Earned Leave से काटा जा रहा है| यदि HRMS में कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए न कि अधिकारियों की अर्जित अवकाश को काटा जाए| कृपया Mandatory Leave Policy में आवश्यक सुधार किया जाए|

5. कृपया संगठन द्वारा प्रेषित पत्रांक ABOO_WO/2022/037 दिनांक 16-07-2022, विषय: **स्टाफ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति सीमा में संशोधन के संबंध में**, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से संगठन द्वारा प्रवर्तक बैंक में पूर्व में ही Revised हो चुके Petrol व्यय की प्रतिपूर्ति सीमा को Aryavart Bank में चल रही सीमा के साथ तुलन करते हुए प्रस्तुत किया गया था| पत्र के कुछ अंश सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत हैं:-

Officers Car Owners- BOI Cir HO:HR:IR:GS:05 Dated: 25-09-2019								
	Major 'A' Class Cities		**Area I**		**Area II**		**Area III**	
	Monetory Limits (Rs.)	Petrol Limits (Liters)	Monetory Limits (Rs.)	Petrol Limits (Liters)	Monetory Limits (Rs.)	Petrol Limits (Liters)	Monetory Limits (Rs.)	Petrol Limits (Liters)

केन्द्रीय कार्यालय
59, सी स्कीम, पटेल नगर
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय
291, बेगम बाग़,
सीतापुर (उ०प्र०)

प्रांतीय, कार्यालय
माल रोड़ 2, नवीन मार्केट,
कानपुर (उ०प्र०)

Web: https://abwoo.org
off.Email:bms@abwoo.org

	Revised	Revised	Revised	Revised	Revised	Revised	Revised	Revised
Scale I	875	55	750	55	750	50	625	45
Scale II	1310	70	1250	70	1250	60	1000	55
Scale III & IV	1550	90	1500	90	1500	75	1250	60

Officers Two-Wheeler Owners- BOI Cir 113/121 Ref. HO:HR:IR:GS:05 Dated: 25-09-2019								
	Major 'A' Class Cities		**Area I**		**Area II**		**Area III**	
	Monetory Limits (Rs.)	Petrol Limits (Liters)	Monetory Limits (Rs.)	Petrol Limits (Liters)	Monetory Limits (Rs.)	Petrol Limits (Liters)	Monetory Limits (Rs.)	Petrol Limits (Liters)
	Revised	Revised	Revised	Revised	Revised	Revised	Revised	Revised
Motor cycle & Scooter	875	45	810	45	750	40	625	30
Moped	875	40	810	40	750	30	625	25

Award Staff Reimbursement of Petrol (Fuel) Limits: BOI Cir 115/ Ref. HO:HR:IR:BDC Dated Advance Copy				
Cadre	**Fuel limits per month (in leters)**		**Maximum amount reimbursement on declaration basis per month (Rs.)**	
	Existing	**Revised**	**Existing**	**Revised**
Special Assistant	**14**	**20**	**875**	**900.00**
Head Cashier	**10**	**16**	**675**	**800.00**
Clerks		**13**		**700.00**
Sub-Staff	**7**	**9**	**475**	**500.00**

<u>Existing In Aryavart Bank</u>

As per Cir 01/94 dated 01-04-2019, Cir 02/94 dated 04-08-2020 & Cir 02/163 dated 17-11-2020

Fixed conveyance allowance	**Officers**	For Branch Managers/HOD- Cost of 20 Liters of petrol per month For Other officers- Cost of 15 Litres of Petrol per month
	Office Assistants	For office Assistant- Cost of 05 Liters of Petrol per month

Fixed Allownce having no vehicle on his/her name for Officers & Office Assistants		
Sr.No.	**Cadre**	**Monetary Limit (Rs.)**
1	All Branch Managers/HODs	500.00
2	All other officers (except Branch Heads & HODs)	400.00
3	Office Assistants	200.00

उपरोक्त Comparative Chart से यह स्पष्ट होता है कि प्रवर्तक बैंक और आर्यावर्त बैंक में अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये जाने वाले उक्त भत्ते में भारी अंतर है जबकि हमारी आर्यावर्त बैंक का पिछले वित्तीय वर्ष में Gross Profit 1500 करोड़ से भी अधिक था| अतएव वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल को और बढ़ाने के लिए आपसे अनुरोध है कि अतिशीघ्र ही समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को देय पेट्रोल व्यय प्रतिपूर्ति प्रवर्तक बैंक के समान की जाए| ताकि अधिकारी कर्मचारी सुचारु रूप से कार्य कर सकें|

6. प्रवर्तक बैंक के समान House Lease एवं Furniture facitlity Aryavart बैंक में लागू की जाए|

7. स्टाफ ऋणों के संबंध में प्रत्येक बार चर्चा के उपरांत भी यह विषय संगठन को वार्ता में रखने को विवश होना पड़ता है क्योंकि प्रधान कार्यालय द्वारा स्टाफ ऋणों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देशों के बाद भी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्टाफ ऋणों विशिष्ट रूप से House Loan को लंबे समय तक लटकाकर रखा जाता है| कृपया जिस प्रकार शाखाओं से No-Pendency cut slip ली जाती है उसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों से Staff House Loan एवं अन्य Staff ऋणों के संबंध में No-Pendency cut slip मांगी जाए| पेंडिंग होने की स्थिति में pendency का सम्पूर्ण विवरण कारण सहित मांगा जाए| Staff ऋणों हेतु आवेदन आगमन एवं निस्तारण पंजिका प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बनाए जाने के निर्देश दिये जाएँ| साथ ही महाप्रबंधक अपने क्षेत्रीय कार्यालय दौरों से दौरान Staff ऋण पंजिका की जांच अवश्य करें| स्टाफ जिसकी Salary बैंक दे रहा है वह भी Retail ऋणों में बैंक का ग्राहक है जिसमें full security बैंक को प्राप्त होती है|

8. कुछ परिक्षेत्रों में Staff Housing loan का sanction ऐसे कारणों से रोका जाता है जिनका कोई नियम नहीं है| जैसे किसी स्टाफ का Housing Loan RBIA report Closure न होने के कारण रोका जाना, Self-Perceptions के कारण रोका जाना इत्यादि| जबकि किसी स्टाफ के विरुद्ध यदि Vigilance Enquiry, कोई वैधानिक मुकदमा, कोई जांच जो आरंभ हो चुकी हो पेंडिंग है अथवा किसी punishment stage में हैं, ऐसे cases में Staff Loan पर रोक तो उचित है किन्तु इसके इतर निजी सोच अथवा किसी अन्य के द्वारा डाली गयी सोच के कारण Staff ऋणों पर निर्णय न लेना उचित नहीं है| कृपया इस हेतु स्पष्ट निर्देश लागू किए जाएँ ताकि staff को इस प्रकार की मनमानी से राहत मिले| ऐसे होने पर भी staff का प्रबंधन के प्रति रोष बढ़ता है और एक वैचारिक समरसता न होकर खाई पैदा होती है जो संस्था के लिए उचित नहीं है|

9. बैंक में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बढ़ा है जिस कारण इस Workforce में वृद्धि हुई है इसलिए Women Grievance Cell को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाए जिससे महिलाओं को कार्य करने हेतु उचित वातावरण मिल सके एवं उनकी समस्याएँ Women Cell के पदाधिकारियों द्वारा सीधे सुनी जाएँ और तत्पश्चात उच्च प्रबंधन के पास सीधे Wonem cell के माध्यम से पहुँचें जिससे महिलाओं को अपनी समस्याएँ कहने में संकोच न हो|

10. संगठन के संज्ञान में आया है कि कुछ परिक्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए Excel Sheet के माध्यम से बिना Mandate Form लिए ही करने के लिए Staff पर दबाव बनाया जाता है और करवाया जाता है| इस कारण इन योजनाओं के गलत क्रियान्वन से भविष्य में Claim के समय करने वाले स्टाफ की निजी ज़िम्मेदारी फिक्स होने की संभावना को अत्यधिक बल मिलता है साथ ही बैंक को क्षति पहुँचने की प्रबल संभावनाएँ हैं| यह प्रैक्टिस गलत है एवं इस हेतु अविलंब निर्देश जारी किए जाएँ कि बिना Mandate form के सामाजिक सुरक्षा बीमा न किया जाए अपितु Mandate Form के साथ ही किया जाए|

11. आजकल प्रतिदिन target देने का चलन हो गया है जिससे बैंक को कुछ हासिल नहीं हो रहा अपितु बैंक की workforce थकती चली जा रही है| Quaterly Targets पर Focus किया जाए और उन्हें प्राप्त करने हेतु साप्ताहिक समीक्षा की जा सकती है| दैनिक समीक्षा हास्यास्पद है|

12. **प्रधान कार्यालय के पत्रांक सं./प्रका./सीएम/जेकेएस/303/2022-23 दिनांक 15-06-2022, विषय: ऋण खातों में MIS कोड में अग्रिम का उद्देश्य एवं अन्य फील्ड को परिवर्तित करने के संबंध में**, में निहित स्पष्ट निर्देशों कि ऋणी की सहमति एवं क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति के बिना MIS code में परिवर्तन न किया जाए, के बावजूद कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा NPA reduction में अपनी progress प्रधान कार्यालय के समक्ष अच्छी दिखने के छद्म उद्देश्य के कारण शाखाओं से जबरन pressure देकर करवाया गया है| जो अधिकारी प्रधान कार्यालय के परिपत्र का हवाला देता है उसे अनुशासन के नाम पर स्पष्टीकरण पकड़ा दिया जाता है| संगठन यह विषय साक्ष्य होने पर ही रख रहा है इसलिए इसे गंभीरता के साथ लिया जाए| चूंकि संगठन का यह पत्र पूरे बैंक में पढ़ा जाता है और कौतूहल और हँगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है बल्कि सुधार होना चाहिए अस्तु हम उन परिक्षेत्रों के नाम नहीं पत्र में नहीं लिख रहे अपितु वार्ता के दौरान स्पष्ट रूप से रखेंगे|

केन्द्रीय कार्यालय
59, सी स्कीम, पटेल नगर
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय
291, बेगम बाग़,
सीतापुर (उ०प्र०)

प्रांतीय, कार्यालय
माल रोड़ 2, नवीन मार्केट,
कानपुर (उ०प्र०)

Web: https://abwoo.org
off.Email:bms@abwoo.org

13. सभी शाखाओं में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु Water Dispensar उपलब्ध करवाए जाएँ ताकि स्टाफ के साथ साथ ग्राहकों को भी सुविधा हो सके|

14. शाखाओं के सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान दिया जाए| शाखाओं में उचित Furniture और 50 लाख से अधिक Profit वाली शाखाओं में AC लगवाए जाएँ ताकि ग्राहक सेवा में सुधार हो सके और अच्छे ग्राहक भी हमारी शाखाओं की ओर आकर्षित हो सकें| जो दिखता है वही बिकता है, यह आज के स्पर्धी युग का सिद्धान्त है| यदि हमें NBFCs, Private Banks और Nationalised Banks के समान Retail Business करना है तो उसी प्रकार सुविधा सम्पन्न होना होगा और दिखना भी होगा|

15. बैंक के Business में Third party business के Share प्रतिशत के साथ बैंक के लाभ में Third Party Business के Share प्रतिशत को वार्ता के दौरान संगठन को सूचित किया जाए|

16. कृपया संगठन के पत्रांक ABOO_WO/2022/039 दिनांक 02-08-2022 विषय: बैंक मित्रों द्वारा बैंक स्टाफ के साथ की गयी अभद्रता एवं हिंसात्मक प्रयास, बैंक मित्रों के अविलंब निलंबन एव कार्यवाही के संबंध में, का संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से संगठन को अवगत करवाने का कष्ट करें एवं आगे भविष्य में न हो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है इसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें| कौशांबी में महिला बैंक कर्मी पर Acid attack में बैंक मित्र की संलिप्तता का राज़फ़ाश कौशांबी कप्तान द्वारा मीडिया में दिया गया है| इस घटना से भी सबक लेने की आवश्यकता है और हमारे बैंक में ऐसी कोई घटना न हो जिससे बैंक की छवि धूमिल हो, उसके लिए प्रभावी प्रयास एवं कार्यवाही करने की आवश्यकता है| विषय को गंभीरता के साथ लिया जाए|

17. सेवानिवृत्ति से पूर्व कार्मिकों की कोई जांच कार्यवाही लंबित हो तो उन्हें शीघ्र सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाना चाहिए ताकि सेवानिवृत्ति के समय कार्मिक सम्मान के साथ संस्था से विदा ले और सममानपूर्वक शेष जीवन व्यतीत कर सके|

18. पूर्व में हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों के लंबित जांच प्रकरण त्वरित गति से और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए निस्तारित किए जाएँ| अनावश्यक रूप से उन्हें लंबित न रखा जाए|

19. प्रायः यह देखा गया है कि छोटे छोटे मामलों में भी हमारे बैंक में ऐसे गंभीर निर्णय जैसे सेवा समाप्ति, सभी increments back कर देना जैसी Major Penalties दी जा रही हैं| जबकि भृष्टाचार एवं गबन के मामले में तो ऐसी Major Penalties समझ में आती हैं किन्तु प्रत्येक मामले में Major Penalty देना कहाँ तक उचित है? जबकि प्रवर्तक बैंक में अति गंभीर मामलों में भी सेवा समाप्ति का निर्णय अति दुर्गम है| कृपया इस ओर सकारात्मक विचार किया जाए| प्रत्येक पेनाल्टी Major हो यह आवश्यक नहीं|

20. प्रायः EO/PO concept किसी भी जांच कार्यवाही की निष्पक्ष जांच हो ऐसे न्यायिक भावना के साथ लागू किया गया है| किन्तु देखने में आया है EO enquiry के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों और बिना आरोप सिद्ध हुए ही अपना निर्णय केवल प्रबंधन को खुश करने के मकसद से और आरोपों को सिद्ध कर दिया इसके लिए इनाम मिलेगा की भावना से कर रहे हैं| यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के पूर्ण रूप से विपरीत है| इस ओर ध्यान दिया जाए| वार्ता के दौरान एक प्रकरण संगठन प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसा हुआ है एवं Defense कार्यवाही में लिखित तथ्यों एवं प्रकाश में आए तथ्यों की अवहेलना हुई है|

21. संगठन से सेवानिवृत्त कार्मिक भी लगातार संपर्क कर रहे हैं व अपनी समस्याएँ संगठन को चर्चा हेतु अत्यंत सकारात्मक आशा के साथ नोट करवा रहे हैं ताकि आपके माध्यम से उन समस्याओं का सकारात्मक निदान हो सके| सेवानिवृत्त कार्मिकों की समस्याओं को उचित रूप से समाधान हेतु हमारे संगठन Arayavart Bank Workers & Officers Organisation एवं भारतीय मज़दूर संघ से सम्बद्ध **"आर्यावर्त बैंक सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण समिति" का गठन सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन किया गया है**| समिति के पदाधिकारी आपसे विशेष रूप से भेंट एवं वार्ता करने के

केन्द्रीय कार्यालय
59, सी स्कीम, पटेल नगर
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय
291, बेगम बाग़,
सीतापुर (उ०प्र०)

प्रांतीय, कार्यालय
माल रोड़ 2, नवीन मार्केट,
कानपुर (उ०प्र०)

Web: https://abwoo.org
off.Email:bms@abwoo.org

इच्छुक हैं कृपया हमारी सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों को वार्ता हेतु, हमारी वार्ता के दौरान ही तिथि व समय आवंटित करने का कष्ट करें ताकि उन्हें वार्ता हेतु सूचित किया जा सके|

22. संगठन की राष्ट्रीय इकाई AIGBOO एवं AIGBWO द्वारा राष्ट्रीय स्तर की मांगों के संबंध में घोषित Agitational Notice की सूचना| राष्ट्रीय इकाई द्वारा बैंक को 18-08-2022 को ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है|

23. अन्य विषय|

संस्था हित में, संस्था की प्रगति हेतु संगठन के सुझाव

संगठन Demand with Responsibility, Rights with Duties विचार को प्रबल रूप से मानता है| बैंक का प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी यह अवश्य सोचता है कि उसकी संस्था तरक्की करें| अपवाद स्वरूप ही कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे मिलेंगे जो ऐसा नहीं सोचते होंगे और अपवाद प्रत्येक क्षेत्र में मिलेंगे ही| इसलिए वर्तमान में संस्था का व्यवसाय क्यों गिर रहा है? और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसपर आम अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य से निकले विचार और सुझाव संकलित कर इस महत्वपूर्ण वार्ता में आपके समक्ष रखा जा रहा है| संगठन आपके आगमन के पश्चात विभिन्न रणनीतिक स्तर पर लिए गए फैसलों की भी सराहना करता है जिसमें बचत ब्याज दरों को बढ़ाना, अधिकारियों के Delegation power को बढ़ाना, ऋणों का सरलीकरण करना व बैंक को Agri से Retail sector की ओर बढ़ाने जैसे भविष्य को साधने जैसे साहसिक कदम शामिल हैं| संगठन यह भी मानता है कि सुझाव कडवे ही क्यों न हों, किन्तु उन्हें संस्था के हित में उसी प्रकार रखना चाहिए| आशा है आप भी धैर्य के साथ इन सुझावों को पढ़ने के साथ साथ वार्ता के दौरान विस्तृत रूप में सुनेंगे भी|

1. Retail ऋणों में Automobile sector के सबसे Secured ऋणों को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या 04/57 दिनांक 28-06-2022 में निहित Dealers को ऋण राशि का 0.50% पे-आउट को बढ़ाकर 1.50% किया जाए| संगठन एवं संगठन के अधिकारियों के द्वारा किए गए मार्केट survey में यह तथ्य सामने आया है कि dealers को NBFC अथव अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक 1.50% से 2% तक पे-आउट ऑफर करती हैं जिसके कारण Dealers गाड़ियों के ऋण प्रस्ताव इन Banks को अग्रेषित कर देते हैं| इसलिए हमारे बैंक में भी यह पे-आउट राशि कम से कम प्रवर्तक बैंक के बराबर कर दी जाए तो इसके परिणाम आने वाले समय में सुखद होंगे|

2. बैंक में Deposit लगातार घट रहा है| पिछले वित्तीय वर्षो को देखा जाए तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के मध्य से द्वितीय त्रैमास के अंत तक में Deposit घटने का यह चलन रहा है| जबकि वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास के मध्य से चतुर्थ त्रैमास के अंत तक Deposit लगातार बढ़ता है| इसके साथ ही हमारे Aryavart Bank में Govt Business/Deopsit के रूप में अत्यंत कम है क्यूंकि अभी तक अधिकांश संस्थाएं RRBs के Status से अनिभिज्ञ हैं और Nationalised banks को प्रमुखता देती हैं| आज जब वित्त मंत्रालय द्वारा RRBs पर अपना ध्यान केन्द्रित किया गया है और आप एक committee के Alternative chairman भी नियुक्त किए गए हैं तो क्यूँ न आपके मध्य से DFS द्वारा समस्त वित्तीय संस्थाओं को Nationalised Banks के साथ RRBs में Deposit रखने हेतु प्रेरित किया जाए| इससे RRBs की स्थिति के बारे में यह Govt संस्थाएं जानेंगी और इससे बैंक को Bulk Deposit के रूप में बड़ी राशि मिलेगी|

3. सबसे महत्वपूर्ण विषय कार्मिकों के मनोबल का है| जिस प्रकार थके हुए और डरे हुए सैनिक कोई युद्ध नहीं लड़ सकते उसी प्रकार भयभीत और थका हुआ बैंक स्टाफ भी उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता जिस प्रकार से प्रबंधन चाहता है| प्रबंधन के स्तर से कार्मिकों को देर तक बैठकर कार्य करने को बाध्य करकर थका देने की पृवृत्ति एक खतरनाक स्तर तक पहुँच रही है जो कदापि उचित नहीं है| कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिसके लिए Overtime और Compensation का सहारा लिया जा सकता है किन्तु ऐसा न करकर उच्च प्रबंधन तो दबाव बना ही रहा है, और क्षेत्रीय कार्यपालक दो कदम आगे बढ़ गए हैं| कार्य सम्मान के साथ और प्रेरणा के साथ किया जाए तो उचित है अथवा नकारात्मक माहौल न तो कार्मिकों के लिए उचित है और न ही संस्था के लिए| इस ओर ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही आने वाले त्रैमास में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे| विस्तृत चर्चा वार्ता के दौरान अपेक्षित है|

4. बैंक का ऋण अवशेष लगातार तेजी से घट रहा है इसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय स्तर पर है| इस समय ऋण बढ़ाने पर Focus है| होता यह है कि जो भी शाखा ऋण को बढ़ाती है, उसे रूढ़िवादी सोच कि ऋण इतना बढ़ा दिया तो गलत ही किया होगा की सोच के कारण क्षेत्रीय कार्यपालकों द्वारा शक की निगाह से देखा जाता है जो कि गलत है| और इस प्रकार पूर्वाग्रह से उस शाखा प्रबन्धक को अपमानित किया जाता है और जांच का भय दिखा दिया जाता है और इसका असर वृहद होता है| क्षेत्र में संदेश यह जाता है कि कुछ भी हो जाए ऋण कम दिया जाए| मानें या न मानें यह भी ऋण कम होने का महत्वपूर्ण कारण है| यदि किसी शाखा में ऋण पर कोई शक है तो उसकी जांच का मार्ग खुला है, बिना हो हल्ला मचाए उसकी जांच कारवाई जा सकती है ताकि आवश्यक सावधानी भी बरती जा सके और इससे अनावश्यक कौतूहल भी नहीं मचेगा| किन्तु ऐसा नहीं होता| अपवाद हो सकते हैं किन्तु सभी गलत नहीं हो सकते|

5. House loan में कुछ संशोधन की आवश्यकता है जिससे लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ के अतिरिक्त अन्य जिलों में गृह ऋण बढ़ेगा| विशेष रूप से Salary Class हेतु LDA मानक को छोड़कर नगर निगम के अंतर्गत आने वाली भूमि पर भी आवास ऋण देने हेतु शिथिलता देनी चाहिए| जहां ऐसी भूमि पर LIC, SBI व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक Salaried Class को ऋण उपलब्ध करवाती हैं वहाँ अपनी बैंक भी क्यूँ पीछे रहे? इस ओर बैंक प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए|

6. Autofin Loan, Personal Loan और House Loan में जो रियायति ब्याज दरें हैं उन्हें आगे कम से कम कम एक त्रैमास हेतु यथावत रखना चाहिए| जब अन्य bainks अपने इन ऋणों की दरों को बढ़ाने जा रही हैं तो हमें अपनी ब्याज दरों को इसी स्तर पर कम से कम एक त्रैमास रखना चाहिए ताकि जिस Salaried Class को हम खो चुके हैं उन्हें वापस लाया जा सके| यह एक अच्छ अवसर हो सकता है| वैसे भी Diversification में हमारे बैंक का Retail Protfolio संभवतः केवल 4% के करीब ही होगा तो इस प्रकार केवल एक त्रैमास रियायती ब्याज दरों को रखने में बैंक को कोई हानि नहीं होगी अपितु नया customer base मिलेगा| इस ओर विचार किया जाए| चाहे तो एक case study भी की जा सकती है|

7. अधिकारियों को तो Traning दी जा रही है किन्तु कार्मिकों training नहीं दी जा रही जिस कारण वे बैंक की वर्तमान आवश्यकता से अनिभिज्ञ हैं| कर्मचारियों को भी Training दी जाए ताकि वे भी बैंक हित में अपने क्षेत्र से हटकर योगदान दे सकें| कार्मिकों के लिए उनके क्षेत्र से हटकर सहयोग देने के लिए उनेक APAR में अथवा promotion के समय अलग से Additional Number रखे जाएँ जिससे कार्मिक प्रेरित हो सकें और अच्छा कार्य करने वाले कार्मिको को लाभ मिल सके|

8. बैंक के Business में Third party business के Share प्रतिशत के साथ बैंक के लाभ में Third Party Business के Share प्रतिशत को यदि देखा जाए तो अत्यंत नगण्य है और इसके बावजूद बैंक में बैंकिंग के कार्य को तवज्जो न देकर बैंक कर्मियों को बीमा कर्मियों की भांति बीमा करने के target दिये जा रहे हैं| यह स्थित संस्था के लिए उचित नहीं है| बीमा कंपनियाँ बड़ी चालाकी से अपने कार्मिकों की संख्या न बढ़ाकर अपने खर्चे बचाकर बैंक की Task force को इस्तेमाल कर रही हैं और लाभ अर्जित कर रही हैं और हम अपना business अपने हाथो से बीमा कंपनी को दे रहे हैं| जरा सोचिए जो 1000, 2000 से लेकर 6000 तक का Premium हम अपने ग्राहक का बीमा कंपनी को देते हैं उस प्रीमियम की RD यदि खुलने लगें तो बैंक का Deposit कितना बढ़ेगा| साथ ही Marketing Officer को General Banking Officer बनाकर हम अपने Cadre crunch को कम करेंगे उनको दी जाने वाली सैलरी बैंक के सामान्य कार्य और बैंक के core व्यवसाय में इस्तेमाल होगी| हमारे बैंक में talent की कमी नहीं है किन्तु आवश्यकता है उसे सही जगह इस्तेमाल करने की| परंपरागत Nationalised Banks की तुलना के बजाय समय है कि RRB का प्रबंधन अपनी RRB के लिए सोचे और नीतियाँ बनाएँ जिसके लिए बैंक के बोर्ड पूर्ण रूप से सक्षम हैं| संगठन third party business के विरुद्ध नहीं है, बैंक को जहां से जितना लाभ हो, लिया जाना चाहिए किन्तु केवल third party business पर अनावश्यक ध्यान केंद्रण से संगठन को आपत्ति है| इस तरह अनैतिक दबाव नहीं डालना चाहिए| बीमा करने पर प्रशंसा की भरमार है और बैंक का core business करने पर कुछ भी नहीं| आज कल अधिकारियों की प्रगति बीमा व्ययसाय पर देखी जाने लगी है जो कि गलत है और भविष्य में कभी भी यह स्थिति विस्फोटक रूप ले सकती है| इसलिए आज ही इस विषय पर विचार कर आवश्यक कदम उठाने होंगे|

9. बैंक में Transfer Posting हेतु Policy साफ तौर पर बनाई गयी है किन्तु कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में यह वर्ष भर चलती रहती है| पहले तो नियमानुसार निर्णय नहीं लिए जाते, पूर्वाग्रह से निर्णय लेते हैं और जब निर्णय गलत होते हैं तो बदले जाते हैं| ठीक है यह एक सामान्य प्रक्रिया है किन्तु ऐसे उदाहरण 1 या 2 होने चाहिए किन्तु होते बहुतायत में हैं| इस प्रकार की समस्या बैंक transfer policy के अनुपालन न करने के कारण होता है| अधिकारियों कर्मचारियो के स्थानांतरण का जो समय और समयावधि निश्चित की गई है उसी के अनुसार स्थानांतरण किए जाएँ तो इस Transfer Posting की गैर जरूरी राजनीति से बैंक को निजात मिलेगी और जरूरतमन्द अधिकारी कर्मचारियों के चाहे वे किसी भी संगठन के हों उनके कार्य हो सकेंगे| संगठन सभी कार्मिकों को एक समान रूप से तवज्जो देने का पक्षधर है और नियम सभी के लिए एक समान होने चाहिए चाहे वह सबल हो अथवा निर्बल, पहुँच वाला हो यह गैर पहुँच वाला हो| न्याय व्यवस्था बनी रहे यह प्रबंधन की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है और संगठन की भी|

हम यह विश्वास करते हैं कि आज के इस प्रतिस्पर्धी महत्वपूर्ण दौर में जब RRBs के कायाकल्प का चरण चल रहा है ऐसे में इस प्रकार वार्ता के सम्मानित मंच का प्रयोग कर प्रबन्धन और संगठन मिलकर संस्था में किसी भी विषय को मिलकर सुलझा सकते हैं और संस्था की प्रगति के साथ कार्मिक हितों को आगे बढ़ा सकते हैं|

चूंकि संगठन का यह मांग पत्र समस्त सदस्यों एवं कार्मिकों हेतु प्रत्येक platform पर उपलब्ध होगा तो ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास है कि बैंक के अधिकांश अधिकारी कर्मचारी इस पत्र को पढ़ रहे होंगे| हम इस पत्र के माध्यम से उनसे भी सकारात्मक अपील करते हैं| हम मानते हैं कि नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए न कि केवल किसी खास वर्ग अथवा व्यक्तियों के समूह के लिए अलग और अन्य के लिए अलग| बैंक में वार्ता के माध्यम से प्रथम अपनी बात को अथवा आपत्ति को रखना चाहिए| संघर्ष सदैव अंतिम विकल्प होना चाहिए| संस्था में कई उपलब्धियां भी हुई हैं और प्रगति भी हुई है| कुछ एक अपवादों से संस्था के माहौल को खराब नहीं होने देना चाहिए| संगठन के मंच खुले हुए हैं वार्ता के माध्यम से समाधान की खोज का प्रयास करें और सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर संस्था की प्रगति में योगदान दें| हमारी संस्था जो हम सभी को समाज में उत्तम जीवन जीने का एक माध्यम है, वह भी आज के प्रतिस्पर्धी दौर में दबाव में है| हम सभी को मिलकर इसे इस दबाव से निकालना है और साथ मिलकर आगे बढ़ाना है| संगठन किसी भी समस्या को लेकर प्रबंधन से वार्ता करने को सदैव तत्पर है और समस्याओं को वार्ता के मंच का इस्तेमाल करकर हल कराने हेतु तत्पर है|

हम संगठन में और बैंक में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मिलकर कार्य करने के पक्षधर हैं और इसीलिए संगठन में भी साथ मिलकर बैठक कर, बिना अधिकारी कर्मचारी के पदों के भेदभाव के विषयों को रखते हैं और साथ चलते हैं इसलिए अपने संगठन का संयुक्त agenda प्रस्तुत करते हुए हम अपने संगठन के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हेतु आपसे शीघ्र उचित तिथि एवं समय की मांग करते हैं| कृपया उचित तिथि एवं समय प्रदान कर संगठन को उसकी आधिकारिक ईमेल bms@abwoo.org पर सूचित करने का कष्ट करें| तिथि और समय सूचित करने के उपरांत ही बैठक में भाग लेने वाले संगठन के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों की सूचना अलग से प्रेषित की जाएगी|

संलग्नक: यथोपरि संदर्भ पत्र|

भवदीय

[Pravin Kumar Singh]
General Secretary
Workers Organisation

[Lalit Singh]
General Secretary
Officers Organisation

प्रतिलिपि:

1. समस्त महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, आर्यावर्त बैंक को सूचनार्थ प्रेषित|
2. सहायक महाप्रबंधक, HR & IL, प्रधान कार्यालय, को सूचनार्थ प्रेषित|